न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
22/2024	18.01.2024	26.02.2024

उनवान

1. उमा पुत्री श्री राधेश्याम जाति काबरा, उम्र वयस्क, निवासी–आर.के. कॉलोनी, भीलवाडा–राज,
2. नितिन पुत्र श्री राधेश्याम जाति काबरा, उम्र वयस्क, निवासी–आर.के. कॉलोनी, भीलवाडा–राज.
3. रेखा पुत्री श्री राधेश्याम जाति काबरा, उम्र वयस्क, निवासी–आर.के. कॉलोनी, भीलवाडा–राज.
4. विशाल पुत्र श्री राधेश्याम जाति काबरा, उम्र वयस्क, निवासी–आर. के. कॉलोनी, भीलवाडा–राज.
5. राधेश्याम पुत्र श्री मिदुलाल जाति काबरा, उम्र वयस्क, निवासी–आर.के. कॉलोनी, भीलवाडा–राज

प्रार्थीगण

बनाम

1. कैलाशचन्द्र पुत्र श्री सुवालाल जाति काबरा, उम्र वयस्क, निवासी–92, विद्युत नगर, भीलवाडा–राज.
2. देवी सिंह पुत्र श्री विजय सिंह, जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी–ईरास तहसील व जिला भीलवाडा–राज.
3. बालु लाल पुत्र श्री रामचन्द्र, जाति जाट उम्र वयस्क, निवासी–ईरास तहसील व जिला भीलवाडा–राज.
4. भगवत सिंह पुत्र श्री विजय सिंह, जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी–ईरास तहसील व जिला भीलवाडा–राज.
5. राहुल कुमार पुत्र श्री अशोक कुमार जाति गग्गड, उम्र वयस्क, निवासी–2–क्यू, आर.सी. व्यास कॉलोनी, भीलवाडा–राज.
6. सुदीप पुत्र श्री ज्ञान सिंह जाति सांखला, उम्र वयस्क, निवासी–5–सी–18, आर.सी. व्यास कॉलोनी, भीलवाडा–राज.
7. भावना पत्नि श्री मनोज जाति गहलोत उम्र वयस्क, निवासी–ए–6, शास्त्रीनगर, भीलवाडा–राज.
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा

–विपक्षीगण

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

उपस्थितः—अधिवक्ता प्रार्थी मुरली वैष्णव
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 07 उपस्थित नहीं

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम :–

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ईरास नई प0ह0 सुवाणा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2076–2079 के खाता संख्या 313 की अभिलिखित आराजियात 3554/1, 3555/1, 3556/1, 3557 कुल किता 04 कुल रकबा 0.5564 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं।

वकील प्रार्थी ने निवेदन किया है कि प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि के सीमाचिन्ह नहीं होने से पत्थरगढ़ी करवाने की प्रार्थना की है। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 07 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के ख़ातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा ईरास नई प0ह0 सुवाणा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2076–2079 के खाता संख्या 313 की अभिलिखित आराजियात 3554/1, 3555/1, 3556/1, 3557 कुल किता 04 कुल रकबा 0.5564 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा ईरास नई प0ह0 सुवाणा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2076–2079 के खाता संख्या 313 की अभिलिखित आराजियात 3554/1, 3555/1, 3556/1, 3557 कुल किता 04 कुल रकबा 0.5564 हैक्टेयर भूमि फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 26.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अम्बालाल निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा